बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति तथा पि0 वर्ग एवं अति पि0 वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा हेतु आहूत बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः–संचिका में संधारित।

दिनांक–17.09.2021 को निदेशक (मा0 शि0), शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में आहूत बैठक में समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

- वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 अन्तर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर विकसित पोर्टल PMSP के माध्यम से किया जा रहा है।
- निदेशालय द्वारा सभी जिला के शिक्षा विभाग एवं कल्याण विभाग के पदाधिकारियों एवं तकनीकी कर्मियों को नवनिर्मित पोर्टल के क्रियान्वयन हेतु NIC के माध्यम से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।
- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 हेतु दिनांक–30.09.2021 तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की तिथि निर्धारित है। किन्तु आवेदन करने की गति धीमी होने के कारण ऑनलाईन आवेदन की अवधि विस्तारित करते हुए प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया।
- राज्य के बाहर एवं अन्दर अवस्थित संस्थानों के लिए ऑनलाईन प्राप्त आवेदन के सत्यापन हेतु वर्ष 2018–19 की भाँति दो सदस्यों की टीम गठित की जायेगी, जिसमें शिक्षा एवं कल्याण विभाग से एक–एक पदाधिकारी होंगे। इन पदाधिकारियों के बीच पूर्व के वर्ष में आवंटित राज्य/जिला/संस्थान को आधार मानकर टीम का गठन किया जायेगा।
- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA) कार्यालय के द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने के बाद प्रारंभिक अवस्था में ही आवेदनों का स्क्रीनिंग प्रारंभ कर देंगे, ताकि योजना का क्रियान्वयन ससमय सुनिश्चित किया जा सके।
- मान्यता प्राप्त सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों का पोर्टल पर पंजीकरण हेतु सभी जिला पदाधिकारी/सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र प्रेषित कर संस्था के पंजीकरण कराने हेतु अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।
- राज्य स्तर पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु एक नोडल पदाधिकारी एवं एक सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर की प्रतिनियुक्ति हेतु निर्णय लिया गया।
- सभी अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए PMSP पोर्टल को शिक्षा विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार तथा राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार के वेबसाईट www.pmsonline.bih.nic.in पर प्रदर्शित करने हेतु संबंधित विभाग से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय (सभी श्रोत से) ₹2.50 (रुपये दो लाख पचास हजार) पूर्व से निर्धारित थी,

जिसे वित्तीय वर्ष 2021–22 में पारिवारिक वार्षिक आय अधिसीमा को ₹2.50 (रुपये दो लाख पचास हजार) से उपर ₹3.00 (रुपये तीन लाख) तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत पूर्व से निर्धारित वार्षिक आय की अधिसीमा को संशोधित किया गया है।

वरीय तकनीकी निदेशक NIC, पटना के द्वारा बताया गया कि ऑनलाईन किये जा रहे आवेदनों के माध्यम से प्राप्त आय प्रमाण पत्र में आवेदकों द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित आय के अनुसार आय प्रमाण पत्र अपलोड किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 हेतु निर्धारित अधिकतम आय सीमा के अनुरुप आय प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति भुगतान में कठिनाई उत्पन्न होगी। इसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र में भी भिन्नता है।

उक्त के आलोक में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर नीति निर्धारण करने का निर्णय लिया गया।

- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, (BEP)–सह–नोडल पदाधिकारी प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक–13.09.2021 को NIC, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2018–19 अन्तर्गत ऑनलाईन प्राप्त आवेदन के सत्यापन की समीक्षा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी, के आलोक में NSP2.0 Portal को लंबित आवेदनों के सत्यापन हेतु पुनः खोलने का अनुरोध किया गया। पोर्टल खोलने हेतु प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।

ज्ञापांकः–09 / प्र0 छात्र–02 / 2019..271....पटना, दिनांकः–....22/09/21

प्रतिलिपिः–श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, वरीय तकनीकी निदेशक, NIC पटना /प्रभारी पदाधिकारी, DBT कोषांग, शिक्षा विभाग/नोडल पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति, कल्याण विभाग/नोडल पदाधिकारी, पि0 वर्ग एवं अति पि0 वर्ग, कल्याण विभाग/निदेशक (मा0 शि0) के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।

ज्ञापांकः–09 / प्र0 छात्र–02 / 2019..271..पटना, दिनांकः–....22/09/21

प्रतिलिपिः–सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार/सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।